

माँ जालपा देवी राजकीय महाविद्यालय, तारानगर (चूरू)

दिनांक-04.03.2024

आवश्यक सूचना

महाविद्यालय के समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक F No. 8(4) EVN/2016/Part-1 दिनांक 20.06.2022 के नैरन्तर्य में मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान के नवीनतम निर्देश (दिनांक 05.01.2024) तथा उसके अनुसरण में जिला कलेक्टर कार्यालय, बीकानेर के आदेश क्रमांक सीवी/सामान्य/पर्यावरण/2024/1841-1941 दिनांक 12.01.2024 के क्रम में महाविद्यालय में निम्नलिखित एकल-उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं का उपयोग पर प्रतिबन्धित है-

1-All Types of plastic Carry bags.

2-Plastic/thermocool (polystyrene) disposable cutlery including bowls, trays, containers etc. used for serving eatables/drinks.

3-Artificial flowers, banners, flags, flower pots.

4-PET (poly ethylene terephthalate) bottles.

उपर्युक्त प्रतिबन्धित सामग्री के स्थान पर कम्पोस्टैबल प्लास्टिक, बायो-डिग्रेडेबल प्लास्टिक, प्राकृतिक कपड़े, पुनर्नवीकरणीय कागज सामग्री इत्यादी विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं, जिनका पर्यावरण पर कम दुष्प्रभाव होता है।

R. M. Singh

प्राचार्य